



झारखण्ड सरकार

झारखंड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र



जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-03	
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	24	पृष्ठ संख्या वर्तमान	67	धराना न.	51	
		वर्तमान(VOL)	24					
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/राजस्व धराना न	धराना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
12989	3226 /R27 2020 - 2021	धनबाद/ 51	झरिया	02/03/2021	By Sale Registration Deed 4819 Dated 13/11/2020	0 1 2680	0 3044 21.45 डिसेमील	20
क्रेता का नाम :	(M/S SRISHTI BUILDERS PRIVATE LTD. डाइरेक्टर- SMT. VEENA AGARWAL, जाति-----, पता-GARDEN CITY LUBY CIRCULAR ROAD DHANBAD)			जमाबंदी रैयत का नाम : अग्नेसेन आतिथी भवन-पिता-	विक्रेता का नाम : विदेशक-SRI RAMESH AGRASEN ATITHI BHAWAN, निर्देशक-SRI RAMESH KUMAR GUTGUTIA, जाति-----, पता-BHULLI ROAD BANK MORE DHANBAD			
राजस्व कर्मचारी हलका-03 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं हस्तान्तरित। यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।								
Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद				Signature valid Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद				

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।

आदेश

तिथि

Mar 2 2021

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा धनबाद थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
0	3044	0 एकड़, 21.45 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
AGRASEN ATITHI BHAWAN	निर्देशक	SRI RAMESH KUMAR GUTGUTIA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 4819 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अग्रेसेन अतिथी भवन	पिता	

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अलोक में दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **20 रूपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद